इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अभी काफी गुंजाइश

लखनऊ। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने लीड्स-2021 (विभिन्न राज्यों के बीच व्यावसायिक परिवहन सुगमता) के तहत जारी रिपोर्ट में यूपी की रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार के बावजूद कहा है कि यहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की अभी काफी गुंजाइश है। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 11,737 किमी और राज्य राजमार्गों की कुल लंबाई 7147 किमी है। 16001 किमी लंबा रेलवे ट्रैक है। कोल्ड स्टोरेज क्षमता 1,47,14,235 मीट्रिक टन है। लॉजिस्टिक ईको सिस्टम और टर्मिनल पर कार्गो की सुरक्षा और संरक्षा में भी यूपी ने अधिक अंक पाए हैं। रिपोर्ट के अनुसार परिवहन के दौरान कार्गो की सुरक्षा पर अधिक ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस सेक्टर के लिए वैधानिक बाधाएं दूर करने के लिए भी राज्य को काम करने की आवश्यकता है। हालांकि रैंकिंग में बड़ा बदलाव इसलिए ही संभव हो पाया क्योंकि राज्य सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। ब्यूरो

इन सुधारों ने दिलाई बढ़त

- नोडल अधिकारी, राज्य लॉजिस्टिक समन्वय समिति और राज्य लॉजिस्टिक सेल की स्थापना
- वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर को उद्योग का दर्जा
- ढांचागत सुविधाओं का विकास करने वालों को ब्याज में छूट
- भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट
- वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक प्रोफेशनल्स के कौशल विकास के लिए प्रोत्साहन
- परिवहन वाहनों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि

नादरगंज व तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में खराब सड़क व यातायात पर जताई चिंता

लखनऊ। लीड्स-2021 के तहत दी गई रिपोर्ट में राजधानी की नादरगंज और तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में खराब रोड कनेक्टिविटी पर चिंता जताई गई है। पुलिस ठीक से शिकायतों का निपटारा नहीं करती है रिपोर्ट में कहा गया कि कानपुर और हमीपुर होते हुए मध्य प्रदेश माल ले जाने पर काफी दूर तक रोड सिंगल लेन है। लखनऊ से गोंडा, बहराइच और नेपाल जाने पर घाघरा नदी पर बना पुल सिंगल लेन है, जबकि रोड फोर लेन है। लखनऊ में नवाबगंज टोल प्लाजा पर अक्सर जाम रहता है। देवा रोड, चिनहट में वेयर हाउसिंग एरिया नहीं है। कुछ सड़कों के निर्धारित हिस्सों में लगातार कार्गो की चोरियों की घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय पुलिस ने बताया कि उनके यहां शिकायत निवारण सिस्टम प्रभावी नहीं है। ट्रक ड्राइवरों से स्थानीय पुलिस खराब बर्ताव करती है। मुख्य मालवाहक सड़कों पर ड्राइवरों के आराम करने और पार्किंग के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। ब्यूरो

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है वि
लाइन कमिश्नरेट लखनऊ के राजकीय स
राजकीय वस्तुओं आदि की सार्वजनिक नी
होकर रु.- 20000/- अग्रिम जमानत के

सार्व

(1) सामग्री जिस स्थान पर जिस स्थित
(2) बोली बोलने वालों को बोली से पू
होगी।
(3) निष्प्रयोज्य राजकीय सम्पत्ति की उ
समाप्त होने पर तुरन्त जमा करनी होगी
अवमुक्त कर दिया जायेगा। बोली दाता
बोलीदाता की जमानत धनराशि रुपया 20
से पृथक करते हुए दूसरी बोली दाता के